फा. सं. 9-5/2019-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(एफई प्रभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 4 अप्रैल, 2022

श्री शिवराज सिंह ,
गाँव नैपुरा, पी.ओ.- रजबपुर ,
जिला - अमरोहा
उत्तर प्रदेश
पिन : 244236
मोबाइल संख्या. 9536778401

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकरण संख्या DOEAS/R/T/22/00019, DOEAS/R/T/22/00020 एवं DOEAS/R/T/22/00021 दिनांक 11/03/2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदन।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 11/03/2022 के पत्र जो कि इस कार्यालय को दिनांक 17/03/2022 को प्राप्त हुए है का अवलोकन करें। उपरोक्त पत्र हेतु अपेक्षित जानकारी जो इस प्रभाग से आंशिक रूप से सम्बंधित है इस प्रकार है:

सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतराष्ट्रीय मूल्यों, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं एमएसपी के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

उत्पादन लागत (सीओपी), एमएसपी के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अपनी मूल्यनीति की सिफारिश करते समय, सीएसीपी सभी लागतों पर व्यापक रूप से विचार करता है। आयोग को खेती की लागत/उत्पादन लागत के अनुमान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित *मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए सघन योजना* के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है। विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मदद से ये आंकड़े संकलित किये जाते हैं।

लागतों में सभी अदा की गई लागतें शामिल है जैसे नियुक्त मानव श्रम पर व्यय, बैल श्रम/मशीन श्रम के लिए किया गया व्यय, पट्टे पर लिए गए भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के लिए नकद या वस्तु के रूप में किया गया व्यय, उपकरणों तथा खलिहान का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सैटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य। उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मानव श्रम की हिस्सेदारी है। अतः विचार की गई लागतें बहुत व्यापक है और यह समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित पद्धति पर आधारित हैं।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं व्यवसायिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ बढ़ोतरी की थी। इसी सिद्धांत के तर्ज पर, सरकार ने 9 जून, 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों एवं 08 सितम्बर, 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। (अनुबंध)

वर्ष 2005 से 2021-22 तक की उत्पादन लागत (ए2 + एफएल, सी2) से सम्बंधित जानकारी सीएसीपी की वेबसाइट **(cacp.dacnet.nic.in)** पर उपलब्ध है ।

उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील हो तो श्री पी संगीत कुमार, सलाहकार एवम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 445-ए, अर्थ एवम सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या- 011-23382236, को उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

श्वेता साहनी 4/4/2022

(श्वेता साहनी)

आर्थिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. **श्री अनराग भटनागर,** सीपीआईओ एवम सहायक आर्थिक सलाहकार (समन्वय), कमरा संख्या 416, कृषि भवन, नई दिल्ली।

अनुबंध

लागत*, एमएसपी एवं लागत पर प्रतिशत लाभ (रू. प्रति क्विंटल)

जिन्स	2020-21			2021-22		
खरीफ फसलें	लागत*	एमएसपी	लागत के ऊपर % मुनाफा	लागत*	एमएसपी	लागत के ऊपर % मुनाफा
धान (सामान्य)	1245	1868	50	1293	1940	50
(ग्रेड ए) ^		1888			1960	
ज्वार (हाईब्रिड)	1746	2620	50	1825	2738	50
(मालदंडी) ^		2640			2758	
बाजरा	1175	2150	83	1213	2250	85
रागी	2194	3295	50	2251	3377	50
मक्का	1213	1850	53	1246	1870	50
तूर(अरहर)	3796	6000	58	3886	6300	62
मूंग	4797	7196	50	4850	7275	50
उड़द	3660	6000	64	3816	6300	65
कपास (मध्यम रेशे)	3676	5515	50	3817	5726	50
(लंबे रेशे) ^		5825			6025	
मूंगफली	3515	5275	50	3699	5550	50
सूरजमुखी बीज	3921	5885	50	4010	6015	50
सोयाबीन (पीला)	2587	3880	50	2633	3950	50
तिल	4570	6855	50	4871	7307	50
रामतिल	4462	6695	50	4620	6930	50
रबी फसलें						
गेहूं	960	1975	106	1008	2015	100
जौ	971	1600	65	1019	1635	60
चना	2866	5100	78	3004	5230	74
मसूर (लेन्टिल)	2864	5100	78	3079	5500	79
रेपसीड एवं सरसों	2415	4650	93	2523	5050	100
कुसुम्भ	3551	5327	50	3627	5441	50
अन्य फसलें						
कोपरा(मिलिंग)	6639	9960	50	6805	10335	52
(बॉल)		10300			10600	
छिलका रहित नारियल ^		2700			2800	
पटसन	2709	4225	56	2832	4500	59

** इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।*

^ धान (ग्रेड ए), ज्वार (मालदंडी), कपास (लंबा रेशा) तथा कोपरा (बाल) के लिए लागत आंकड़ें पृथक रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं।